



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 11 सितम्बर, 2023

थाना छतारी

शराब माफिया द्वारा अवैध शराब का कारोबार करके सृजित सम्पत्ति कीमत लगभग 17.77 लाख रुपये कुर्क की गयी-

जिलाधिकारी बुलन्दशहर के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 11-09-2023 को उपजिलाधिकारी शिकारपुर एवं क्षेत्राधिकारी डिबाई द्वारा थाना छतारी पुलिस टीम को साथ लेकर शराब माफिया जहीर खां पुत्र फकीर मौहम्मद निवासी ग्राम पण्ड्रावल थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर द्वारा समाज विरोधी क्रिया-कलाप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित कर सृजित/क्रय की गयी अचल सम्पत्ति (अनुमानित कीमत 17.77 लाख रुपये) को गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जब्त किया गया है।

अपराधी जहीर खां की जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण-

- 1- 01 मकान (कुल 200 वर्ग गज)
- 2- कुल कीमत 17.77 लाख रुपये।

अभियुक्त जहीर खां का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-326/17 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम 120बी,255,258,260,420,467,468,471,472,272,273 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-425/17 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-89/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-350/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।

कार्यवाही करने वाली प्रशासन/पुलिस टीम का विवरण-

- 1- श्री विमल किशोर गुप्ता उपजिलाधिकारी शिकारपुर मय राजस्व टीम
- 2- श्री अजय कुमार क्षेत्राधिकारी डिबाई
- 2- श्री सतेन्द्र कुमार थाना प्रभारी छतारी मय पुलिस टीम।



मीडिया सैल बुलन्दशहर